

संख्या 9A-1513-17
दिनांक 25/01/25

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सहयुक्त महाविद्यालय (लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली)
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

विषय:- रोड सेफ्टी क्लब गठन कराये जाने सम्बन्ध में।
महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक संलग्न क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर-एम, अशियाना, लखनऊ के पत्रांक 4225-285/क्षे0का0ल0/2024-25, दिनांक 08.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब गठन कराये जाने के प्रयोजनार्थ महाविद्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज द्वारा नामित जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी, उच्च शिक्षा (छायाप्रति संलग्न) को रोड सेफ्टी क्लब गठन की सूचना संलग्न निर्धारित प्रारूप पर केवल एक्सेल शीट में उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में मा0 कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में रोड सेफ्टी क्लब गठन कराये जाने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर निम्नलिखित नोडल अधिकारी नामित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है:-

1. डॉ0 अमरेन्द्र कुमार, कार्यक्रम समन्वयक, एन0एस0एस0, ल0वि0
2. प्रधानाचार्य, जय नारायण पी0जी0 कालेज, लखनऊ

नोडल अधिकारियों से अनुरोध है कि निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश^{शासन} की रोड सेफ्टी क्लब गठन की सूचना संलग्न निर्धारित प्रारूप (एक्सेल शीट) में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,
25/01/25
(विद्यानन्द त्रिपाठी)
कुलसचिव

संख्या-..... दिनांक-.....
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रतिकुलपति, प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर-एम, अशियाना, लखनऊ के पत्रांक 4225-285/क्षे0का0ल0/2024-25, दिनांक 08.01.2025 के क्रम में सूचनार्थ।
4. डॉ0 अमरेन्द्र कुमार, कार्यक्रम समन्वयक, एन0एस0एस0, ल0वि0
5. प्रधानाचार्य, जय नारायण पी0जी0 कालेज, लखनऊ
6. इंचार्ज वेबसाइट को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महाविद्यालयों के लिंक पर अपलोड करने तथा समस्त को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करे।
7. कार्यालय प्रति।

कुलसचिव

प्रेषक,

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी

रोडर-एम, आशियाना

लखनऊ ।

सेवा में,

कुलसचिव,

समस्त राज्य विश्वविद्यालय

उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक: 4225-28 /क्ष0का0ल0/2024-25

दिनांक: 08/01/2025

विषय: प्रदेश के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब गठन का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के द्वारा प्रदेश के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गए हैं । उच्च शिक्षा विभाग की प्रस्तावित कार्ययोजना के अनुसार वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 1500 अतिरिक्त उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब गठन किये जाने का लक्ष्य है । अभी तक लगभग 500 रोड सेफ्टी क्लब गठन की सूचना प्राप्त है । विभाग अभी उक्त लक्ष्य से दूर है, जिस पर प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा महोदय ने खेद व्यक्त किया है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें कि उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज द्वारा नामित जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी, उच्च शिक्षा (छायाप्रति संलग्न) को रोड सेफ्टी क्लब गठन की सूचना संलग्न निर्धारित प्रारूप पर केवल एक्सेल शीट में दिनांक 13/01/2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । प्रकरण महत्वपूर्ण है, आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है ।
संलग्नक-उक्तवत ।

भवदीय

प्रो0(सुधीर कुमार)

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,

लखनऊ/नोडल अधिकारी (स0 सु0) उ0प्र0

OS(6A)

Rejoice

प0स0- 4225-28 /क्ष0का0ल0/2024-25

तददिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ0प्र0, प्रयागराज ।
- 2- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 3- समस्त जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपदवार रोड सेफ्टी क्लब की सकलित सूचना एक्सेल शीट में ई-मेल आई0डी0 roadsafety695@gmail.com पर दिनांक 15/01/2025 उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

प्रो0(सुधीर कुमार)

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,

लखनऊ/नोडल अधिकारी (स0 सु0) उ0प्र0

file

etc

प्रारूप

[illegible]